न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : नारायण सिंह चारण, (R.A.S)

प्रकरण संख्या 55/2016 (राजस्व अपील) **दायर दिनांक 23.06.2016**

श्री दयाराम पिता प्रताप बलाई, निवासी जालमपुरा,
तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

..... अपीलांट

बनाम

1. श्री भैरा पिता कालू गाडरी, निवासी जलमपुरा,
   तहसील राशमी,जिला चित्तौड़गढ
2. श्री गणेश पिता कालू गाडरी, निवासी जलमपुरा,
   तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1955
विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार राशमी प्रकरण संख्या
01/2008 दिनांक 18.08.2008

उपस्थितः– वकील प्रार्थी :– श्री भैरूलाल वैष्णव
वकील अप्रार्थीगणः– श्री छोगालाल जाट

निर्णय **दिनांक 22.03.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकरण पर संक्षिप्त मामला इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का राशमी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि राजस्व ग्राम हमेरपुरा की आराजी नम्बर 83 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 85 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, मांगी पत्नी चुना, नारायणी पुत्री चुना बलाई 1/3, दयाराम, भगवानलाल, भैरूलाल, शंकरलाल, पिता प्रताप जी व मु. मेहताबी पत्नी प्रताप जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिस पर खातेदारान का कब्जा नहीं होकर भैरा गणेश पिता कालू गाडरी का है एवं मौके पर आराजीयात पडत पडी हुई है, जिसका पर्चा मौका प्रस्तुत कर बताया कि खातेदारान अनुसूचित जाति का सदस्य होकर कब्जेदार अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्ति है जो किसी भी स्थिति में कब्जा अपने पास रखने के अधिकारी नही है। इस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब

किया गया जिसका विपक्षी की तरफ से अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र 183 बी को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जिससे पीडित एवं दुःखी होने से अपीलान्ट की ओर से यह प्रथम अपील निम्न आधारों पर पेश है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून के खिलाफ होने से निरस्त किये जोन योग्य है। अधिनिस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्णतया साबित हो चुका था कि विवादित कृषि आराजीयात अनुसूचित जाति के सदस्य के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिस पर किसी भी स्वर्ण या अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्ति को अपना कब्जा रखने का अधिकार नही है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए मात्र यह मान कर कि दिनांक 24.01.1946 से विपक्षीगण/रेस्पोडेन्टस् का कब्जा चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है जबकि यदि किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित किया है तब भी वह कानून के विरूद्ध होकर किसी भी प्रकार से कोई अस्तित्व नही रखता है, यदि रेस्पोडेन्ट्स के पास किसी भी प्रकार का कोई इकरार नामा या कोई दस्तावेज है तो उसके आधार पर सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए चाराजोही करने चाहिए थी फिर भी आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही करने से प्रार्थी/अपीलान्ट अपना कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर घोर किये बगैर प्रार्थना पत्र निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व ही दिनांक 24.01.1943 को कृषि भूमि अप्रार्थीगणों को बेच दी थी इससे हमारा कोई संबंध सरोकार नही है।'' इस प्रकार यदि अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सहमति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की थी। अपीलान्ट निरक्षर होकर अंगुष्ठ निशानी करता है, जिससे रेस्पोडेन्ट के मिलने वाले व रसूख्खदारों द्वारा किसी प्रकार के कोई सहमति स्वरूप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवा दिया हो तो वह अपीलान्ट के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है एवं यदि किसी प्रकार की सहमति कानून के विरूद्ध प्रस्तुत की जाती है तो भी उसका कानूनी कोई औचित्य नही रहता है, इस आधार पर भी अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

व आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नही थी क्योंकि अपीलांट निरक्षर होकर वृद्ध एवं अधिकतर बीमार रहता है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय की जानकारी नही थी। सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा न्याय आपके द्वारा शिविर में राजस्व न्यायालय एस.डी.ओ. के समक्ष पत्रावली भैरा बनाम मांगी, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 08.01.2016 को रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई उसके पश्चात न्यायालय द्वारा नोटिस प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थिति देने पर एवं पत्रावली के अवलोकन से उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 18.08.2008 की जानकारी हुई उसके पश्चात नकल हेतु आवेदन दिनांक 02.06.2016 को प्रस्तुत किया जिस पर उसी दिनांक को नकल प्राप्त हुई।उसके पश्चात अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर फीस आदि की व्यवस्था कर अपील अपीलान्ट बिना किसी देरी के पेश है फिर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को विस्तारित करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का अलग से पेश है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को ग्राम जालमपुरा की आराजी नम्बर 83 व 85 का कब्जा दिलाया जावें।

प्रकरण को विधिवत दर्ज किया जाकर विपक्षीगण की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण पर वकील अपीलान्ट को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। वकील अपीलान्ट ने दिनांक 09.03.2018 को लिखित बहस प्रस्तुत की है, जिसका कथन इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी के न्यायालय में पटवारी हल्का राशमी द्वारा एक प्रार्थ्ज्ञना पत्र बाबत् ग्राम हमेरपुरा की आराजी नम्बर 83 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 85 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा अपीलान्ट व उसके भाई भगवानलाल, भैरूलाल,शंकरलाल, व मेहताबी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है जो जाति से बलाई होकर अनूसुचित जाति के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट भैरा, गणेश पिता कालू गाडरी का उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है जिस बाबत् पर्चा मौका कायम किया गया तथा निवेदन किया कि उपरोक्त आराजीयात अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होर इस पर अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्ति का कब्जा

काश्त है जो धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना है तथा विपक्षीगण कानूनी रूप से उक्त आराजीयात पर कब्जा रखने के अधिकारी नही है। इस पर प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को सूचनापत्र जारी किया तथा बाद सुनवाई अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 183 बी निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये गये जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की और से अपील प्रस्तुत की गई।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अनुसार स्पष्ट है कि यदि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई विक्रय अनुबंध या विक्रय पत्र निष्पादित भी किया गया है तो वह एबीनिशियों वोईड (प्रारम्भ से ही शून्य) है ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार का कब्जा रेस्पोडेन्ट का मान भी लिया जावे तो भी किसी प्रकार का कब्जा रखने का अधिकारी नही है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुराना कब्जा होना मानते हुए प्रार्थना पत्र निरस्ती का जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को उसकी पैतृक कृषि आराजीयात पर कब्जा दिलाया जाना कानूनन न्यायोचित एवं आवश्यक है। अधनिस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कथन किया कि उनके द्वारा आराजीयात दिनांक 24.01.1943 को अप्रार्थीगणों को बेच दी जबकि ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली पर पेश नही किया एवं अपीलान्ट निरक्षर होकर अंगूठा निशानी करता है जिससे अपीलान्ट के मिलने वाले व्यक्तियों द्वारा जानबुझ कर एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में सहमति बाबत प्रस्तुत करवा दिया जिसका कानूनन किसी भी प्रकार से कोई औचित्य नही है तथा विधि का यह सुस्थापित सिंद्धान्त भी है कि यदि कानून के विरूद्ध किसी प्रकार की सहमति भी दी जाती है तो उसका कोई औचित्य नही रहता है। अपीलान्ट निरक्षर होकर अंगूठा निशानी करता है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नही थी। सर्वप्रथम जानकारी एक अन्य प्रकरण जो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रतिप्रेषित कर उपखण्ड अधिकारी, राशमी को प्रेषित किया गया जो प्रतिप्रेषण के बाद दर्ज होकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये जो नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त हुए उस पर अधिनस्थ न्यायालय में पेशी पर जाने से उक्त निर्णय व आदेश की जानकारी हुई जिससे जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर यह

अपील पेश करने में देरी को माफ किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसका किसी प्रकार से खण्डन रेस्पोडेन्ट्स द्वारा नही किया गया है ऐसी सूरत में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।

प्रकरण पर वकील रेस्पोडेन्टस् की बहस सुनी गई जिनका कथन है कि तहसीलदार राशमी के आदेश दिनांक 18.08.2008 के विरूद्ध अपील पेश की है। तहसीलदार द्वारा इस आदेश में लिखा है कि अप्रार्थीगणों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व दिनांक 24.01.1943 को अप्रार्थीगणों को बेच दी है। अतः यह प्रार्थना पत्र धारा 183 बी के तहत् नही आता है। प्रकरण खारिज कर दाखिल दफ्तर किया गया। यह केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कर दिया गया किन्तु न्यायालय ने इसे 183 बी में नही माना है जबकि यह अपील करने वालों की और से 183 बी में प्रकरण दर्ज नही कराया गया। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

प्रकरण पर वकील विपक्षी के बहस के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम हमेरपुरा की जमाबंदी सम्वत 2061–64 में आराजी नम्बर 83 रकबा 2.17 बिघा, आराजी नम्बर 85 रकबा 2.9 बिघा भूमि खातेदार श्री दयाराम, भगवानलाल, भैरूलाल, शंकरलाल पिता प्रताप व मुस्मात मेवाती बेवा प्रताप बलाई, निवासी जालमपुरा 2/3 श्री मांगी बेवा चुना, नारायणी पुत्री चुना बलाई 1/3 निवासी जालमपुरा के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.08.2008 में भी उक्त खातेदारान के नाम भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का उल्लेख किया है एवं भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का बताया गया है।अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सम्वत् 2002 में विक्रय पत्र की छायाप्रति पेश की है जो पंजीकृत दस्तावेज नही है। विद्ववान तहसीलदार द्वारा बिना कोई जांच किये इस दस्तावेज को साबित मानकर ऐसे संवेदनशील मामले में निर्णय करने में महत्वपूर्ण विधिक त्रुटि की है। वर्तमान में भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955 के इतने महत्वपूर्ण प्रावधानों के अनुसार केवल मात्र फोटोप्रति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता तथा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज / प्रविष्टियों के विरूद्ध भी निर्णय पारित किया जाना नीतिगत एवं न्याय विरूद्ध होगा। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण के संबंध में उभय पक्षकारान को अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाना उचित होगा।

अतः तहसीलदार, राशमी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त प्रकरण पर पक्षकारान को अपना पक्ष साक्ष्य सबुत आदि प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़